म.प्र. शासन

पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग मंत्रालय

क्रमांक 159/54/2/97 भोपाल, दिनांक 3/2/97

प्रति,

समस्त कलेक्टर

मध्यप्रदेश

विषय :- जिले में स्थित वक़्फ सम्पत्तियों की सुरक्षा के लिए कारगर कार्यवाही करने बाबत्।

आपको विदित है कि आपके जिले में स्थित समस्त वक़्फ सम्पत्तियों का रिकार्ड संधारित है। सम्भवत: इनमें कुछ ऐसी वक़्फ सम्पत्तियां भी होगी, जिन पर कुछ व्यक्तियों के द्वारा अतिक्रमण किया गया होगा। वक़्फ सम्पत्तियों की सुरक्षा की जिम्मेदारी राज्य शासन का एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। अत: ऐसे समस्त वक्फ सम्पत्तियों पर हुए अतिक्रमणों को चिहृनांकित करते हुए, उनको हटाने की कार्येवाही करने के लिए आपको विभाग के द्वारा समय-समय पर निर्देश प्रसारित किये गये हैं। **कृपया इस संबंध में सचिव, म.प्र. शासन, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग** के अर्द्ध शासकीय पत्र दिनांक 5 मार्च 1994 तथा सचिव, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के अर्द्ध शासकीय पत्र दिनांक - 11.7.95 एवम् 12.10.95 का भी अवलोकन करने का कष्ट करें, जो आपको सम्बोधित है।

2/ आपको विदित है कि प्रदेश में नया वक़्फ एक्ट-1995 जनवरी, 1996 से लागू हो चुका है। इस अधिनियम के पूर्व वक़्फ अधिनियम 1954 प्रभावशील था। वक्फ अधिनियम 1954 के अन्तर्गत वक्फ सम्पत्तियों पर हुए अतिक्रमण को बेदखल करने का कोई प्रावधान यद्यपि नहीं था, फिर भी राजस्व अधिकारी भू-राजस्व संहिता, 1959 की धारा-248 के अन्तर्गत वक़्फ सम्पत्तियों पर हुए अतिक्रमण को हटाने की कार्यवाही करते आ रहे थे। वक़्फ अधिनियम 1995 की धारा-23 के अन्तर्गत मुख्य कार्यपालन अधिकारी की नियुक्ति करने का प्रावधान है। मुख्य कार्यपालन अधिकारी की नियुक्ति शासन के द्वारा की जा रही है, जिसकी सूचना आपको पृथक से दी जाएगी। वक्फ अधिनियम 1995 की धारा-54 के तहत मुख्य कार्यपालन अधिकारी को यह अधिकार सौंपे गये है कि वह वक्फ सम्पत्तियों पर हुए किसी अतिक्रमण की सूचना प्राप्त होने पर प्रकरण की छान-बीन करने के उपरान्त अतिक्रमणकारी को अतिक्रमण हटाने का आदेश दे सकता है, तथा अतिक्रमित सम्पत्ति को वक्फ के संबंधित मुतावल्ली को सौंपने का आदेश दे सकता है। इस अधिनियम की धारा-55, के अन्तर्गत यह प्रावधान है कि यदि कोई अतिक्रमणकारी मुख्य कार्यपालन अधिकारी के द्वारा दिये गये आदेश का पालन नहीं करता है, तो मुख्य कार्यपालन अधिकारी संबंधित अनुविभागीय अधिकारी को इस अतिक्रमण को हटाने हेतु आवेदन देगा तथा अनुविभागीय अधिकारी वक्फ सम्पत्तियों पर हुए अतिक्रमण को हटाने के लिए आदेश पारित करेगा। यदि अतिक्रमणकारी अनुविभागीय अधिकारी के आदेश का पालन नहीं करता है, तो पुलिस की सहायता से अतिक्रमण को हटायेगा। धारा-54, एवं 55 का उद्धहरण संलग्न है।

3. वक्फ बोर्ड द्वारा प्रत्येक जिले में जिला वक्फ समितियाँ गठित की गई है, जिसका मुख्य कार्य जिले की वक्फ सम्पत्तियों की उचित व्यवस्था तथा निगरानी करना है। यदि आप समय-समय पर जिला वक्फ समितियों तथा वक्फ के मुतावल्लियों की एक बैठक लिया करें, तो आपको यह जानकारी प्राप्त हो जाएगी कि किन वक्फ सम्पत्तियों पर, कब अतिक्रमण हुआ है। इसके अतिरिक्त गिरदावरी में समस्त पटवारी वक्फ सम्पत्ति के संबंध में यदि जांच करें कि उन पर कोई अतिक्रमण तो नहीं हुआ है तो आपको वक्फ सम्पत्तियों पर हुए अतिक्रमणों की जानकारी प्राप्त हो जाएगी। इस प्रकार प्राप्त जानकारी को वक्फ बोर्ड को तथा इस विभाग की प्रेषित करें। विभाग द्वारा इस संबंध में अर्द्ध शासकीय पत्र क्र. एफ-9/15/छ/93 दिनांक 29.11.94 के द्वारा एक प्रपत्र भी निर्धारित कर आपको पूर्व में प्रेषित किया गया है। (प्रपत्र की छाया प्रति संलग्न है) इस प्रपत्र में आपसे जानकारी नियमित रुप से प्राप्त नहीं हो रही है। कृपया इस पर विशेष ध्यान देकर जानकारी प्रेषित करें।

4. कृपया आप जिले के राजस्व अधिकारियों की बैठक में इस नई व्यवस्था से उन्हें अवगत करायें तथा इस सर्कयूलर को वितरित कराकर उनके कार्यालय के गार्ड फाईल में लगाने हेतु निर्देश दें।

5. आपको पुनः निर्देशित किया जाता है कि वक़्फ सम्पत्तियों पर हुए अतिक्रमण को बेदखल करने के संबंध में समुचित कार्यवाही करें तथा की गई कार्यवाही से इस विभाग को अवगत करायें। कृपया यह भी सुनिश्चित करें कि भविष्य में वक्फ सम्पत्तियों पर किसी प्रकार का अतिक्रमण न होने पाये। यह एक महत्तवपूर्ण विषय है। अतः इस पर आप समय-समय पर अपने स्तर पर समीक्षा भी करते रहें।

संलग्न : उपरोक्तानुसार

(अमर सिंह)
प्रमुख सचिव
पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग

पृष्ठांकन क्र. 160/54/2/97 भोपाल, दिनांक 3.2.97

प्रतिलिपि :

1. प्रमुख सचिव म.प्र. शासन राजस्व विभाग।
2. प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन स्थानीय शासन विभाग।
3. समस्त संभागीय आयुक्त, मध्यप्रदेश को सूचनार्थ। कृपया कलेक्टरों की बैठकों में की जा रही कार्यवाही की समीक्षा नियमित रुप से करते रहें।
4. अध्यक्ष, म.प्र. वक्फ बोर्ड, भोपाल।
5. समस्त आयुक्त, नगर निगम, मध्यप्रदेश।
6. समस्त मुख्य नगर पालिका अधिकारी, मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

शासन को जानकारी देने हेतु

प्रपत्र क्रमांक - 1

वक़्फ सम्पत्तियों एवं कब्रिस्तानों से अतिक्रमण हटाने की समीक्षा : जिला.................................माह ....

नम्बर 96 तक अतिक्रमणों संख्या	जनवरी 1996 से मांसात नये अतिक्रमण संख्या	मासान्त तक हटाये गये अतिक्रमण	मासान्त तक शेष अतिक्रमणों की संख्या	विशेष विवरण
1.	2.	3.	4.	5.

प्रपत्र क्रमांक -2

वक़्फ सम्पतियों एवं कब्रिस्तानों के अतिक्रमण हटाने संबंधी जानकारी

जिला.........................माह...............

नाम	तहसील	वक़्फ सम्पति/ कब्रिस्तान का नाम जिस पर अतिक्रमण हुआ है।	अतिक्रमित भूमि का खसरा नं. हल्का एवं रकबा	अवैद्य अतिक्रमण का स्वरुप	अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही	अतिक्रमण हटा या नहीं	यदि नहीं तो किस कारण से नहीं हटा	अन्य आवश्यक विवरण
2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.